न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 51/2021

1–मानादेवी पत्नी स्व0 रामूराम जाति जाट निवासी डिकावा तसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–पटवारी हल्का निम्बी कंला, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

2– तहसीलदार डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री विकास ठोलिया, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश प्रकरण संख्या 01/2020 बअनुवान राजस्थान सरकार जिरिये पटवारी हल्का निम्बी कलां बनाम सुरेन्द्र सिंह वगैरहा निर्णय दिनांक 15.01.2021 द्वारा न्यायालय तहसीलदार, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक :21.02.2022

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार डीडवाना के प्रकरण सं0 01/2020 बअनुवान पटवारी हल्का निम्बी कंला बनाम मानादेवी में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2021 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का निम्बी कंला ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार डीडवाना को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम डीकावा के खसरा नम्बर 113 रकबा 3 बीघा किस्म गैम0मु0 रास्ता में से 1.05 बीघा भूमि पर डोली व बाड़ा बनाकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलार्थी/अप्रार्थीया द्वारा कब्जा कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थीया को राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलान्ट/अप्रार्थीया के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थीया द्वारा मौजा डिकावा के खसरा नम्बर 113 रकबा 3 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ते की भूमि में से 1.05 बीघा पर अतिक्रमण करने पर अप्रार्थीया द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाये गए। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थीया को अतिक्रमी माना जाकर मौजा डिकावा के खसरा नम्बर 113 रकबा 1.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया तथा वार्षिक लगान दर का 50 गुणा से जुर्माना रूपये 20/– अक्षरे बीस रूपये कायम किया गया। पटवारी हल्का को अपीलान्ट/अप्रार्थीया को उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने व शास्ति वसुली हेतु आदेश दिये गए।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट/अप्रार्थीया द्वारा यह अपील दिनांक 02.08.21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 02.08.21 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड़ ने प्रार्थीगण हरदीनराम पुत्र परसाराम, सावताराम,चतराराम, चेनाराम पुत्रगण लिछमणराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गतग आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश कर पक्षकार बनाने का निवेदन किया। बहस वकुलाय सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रश्नगत प्रकरण गै0मु0 रास्ते की राजकीय भूमि होने से तथा प्रार्थीगण का इस सरकारी भूमि में किसी प्रकार का कोई विधिक हक एवं अधिकार नहीं होने से प्रार्थीगण का आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 17.01.22 को प्राप्त हुई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3} – अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1) –यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.01.2021 को पारित करने में न्यायालय ने भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 15.01.2021 को पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया/अपीलार्थी को उसका प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.01.2021 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) –यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य अपीलाधीन आदेश के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थीया/अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया वह नोटिस अपीलार्थीया को तामील नहीं करवाया गया जो कि एक अनपढ एवं घरेलू कामकाजी महिला है इस कारण जो आलोच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 15.01.2021 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को ओच्य आदेश प्रदान किया है इस कारण आलोच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खरिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन फानन में एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश की आड़ में बिना अप्रार्थीया/अपीलार्थी का पक्ष सुने ही किसी प्रकार की बेदखली संबंधि कार्यवाही कर भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को उसका खमियाजा बिना किसी वजह के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को भुगतना पड़ेगा तथा अपीलार्थीगण की खड़ी फसल नष्ट हो जायेगी जिसकी पूर्ति नगदी में कतई सम्भव नहीं होगी तथा अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण को न्याय प्राप्ति हेतु बिना समुचित अवसर प्रदान किये ही उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो कि कतई विधि संगत नहीं है। न्याय की मंशा है कि न्याय किया जाना ही न्याय नहीं है बल्कि न्याय दिखना भी चाहिये जो कि विधि की मंशा के अनुरूप हो। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश गलत रूप से पारित किया है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

{3}(6) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब आदेश कि प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थीया/अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है का प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश के पारित कराने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से आदेश कि प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद आदेश कि प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयावधि के कण्डोन हेतु मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने से पूर्व पक्ष अपीलार्थी विरूद्ध रेस्पोडेन्ट अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी प्राप्त करना चाह रहा है जो प्रदान किया जाना उचित एवं न्याय संगत होकर विधि सम्मत व प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है। उपरोक्त स्थगन आदेश न प्रदान करने की स्थिति में प्रार्थी अपीलार्थी की अपील का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी अपीलार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जायेगां उपरोक्त निर्णय दिनांक की जानकारी से पूर्व व्यतीत समय को कण्डोन किया जाना भी न्याय संगत होगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पटवारी द्वारा किसी प्रकार की सीमांज्ञान रिपोर्ट राजस्व रेकर्ड में दर्ज गट्ठा अनुसार प्रस्तुत नहीं की है एवं किन किन व्यतियों/मौतबीरान के समक्ष उक्त अतिक्रमित बताई जाने वाली भूमि का सीमाज्ञान किया गया उक्त उपस्थित मौतबीरान के हस्ताक्षर भी सींमाज्ञान रिपोर्ट में नहीं है मात्र प्रार्थीया/अपीलार्थी से रंजिश रखने वाले लोगों द्वारा मनगढत एवं झुठे तथ्यों पर की गयी शिकायत पर हल्का पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है जो रिपोर्ट अपने आप में अपूर्ण होने से उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेंश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट ने बहस के अन्त में यह निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.01.2021 को अपास्त फरमावे।

{4}–वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि जिस भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गयी है उक्त मुतनाजा भूमि पर अपीलान्ट/अप्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को जो नोटिस जारी किया वह नोटिस अप्रार्थीया को तामिल नहीं करवाया गया इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को न्याय निर्णय से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्त भूमि के संबंध में मौका कमरीश्नर नियुक्त कर भौतिक स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट मंगवायी जानी आवश्यक एवं न्याय संगत थी लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय में बिना दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण किये उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं लिए है। अतः बिना नाप चौक के ही अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय किया वो अपास्त किये जाने योग्य है।

{4}–प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.01.2021 को हुआ है तथा जिसकी जानकारी दिनांक 02.08.2021 को नकल प्राप्त करने से हुयी। अतः प्रार्थी ने दिनांक 02.08.2021 को अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी। इससे पूर्व उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को कभी भी नहीं हुई है। अतः अपील में हुयी देरी माफ योग्य है जिससे अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अतः अपीलार्थी को पूर्व में जानकारी नहीं होने तथा जानकारी का अभाव होने से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश किये जाते है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी निम्बी कंला की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक निम्बी कलां द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम डिकावा के खसरा नम्बर 113 रकबा 1.05 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थीया/अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है। अप्रार्थीया का नोटिस सवार की रिपोर्ट अनुसार चस्पांदगी से तामिल बताई गयी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलनान्ट उक्त सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है जो गै0मु0 रास्ते की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। रास्ते की भूमि पर ग्रामीण अपने मवेशीयो को घर से खेत और खेत से घर लाने ले जाने व कृषि कार्य हेतु खेत आने जाने के उपयोग में लाते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार है। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

उपरोक्त तथ्यो के आलोक में अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.01.2021 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)